



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3440]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 22, 2019/आश्विन 30, 1941

No. 3440]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 22, 2019/ASVINA 30, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक वासूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2019

**का.आ. 3792(अ).**—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974(1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 12.07.2019 को पीडी-12001/37/2019-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री रंजय कुमार, सुपुत्र स्व. श्री उमेश शर्मा, निवासी- मकान नं. 64ए, दूसरी मंजिल, बदरपुर, दिल्ली- 110044 को हिरासत में लिया जाए और तलोजा सेन्ट्रल जेल, इनामपुरी, खारघर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र- 410208 में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस आयुक्त, दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, नई दिल्ली के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12001/37/2019 –कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

**ORDER**

New Delhi, the 22nd October, 2019

**S.O. 3792(E).**—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/37/2019-COFEPOSA dated 12.07.2019 under the said sub-section directing that Shri Ranjay Kumar, S/o Late Mr. Umesh Sharma, R/o H. No. 64A, 2nd Floor, Badarpur, Delhi-110044, be detained and kept in Taloja Central Jail, Inampuri, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra -410208, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi Government of NCT of Delhi, New Delhi, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/37/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.